जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–1 / 2021 / डी– 1457 दिनांकः– 19/5/2022

विज्ञप्ति

माधव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना विनोवा नगर के भूखण्ड संख्या–60ए श्रीमती प्रकाशवती शर्मा पत्नी श्री महावीर प्रसाद शर्मा को समिति द्वारा आवंटित किया गया था। श्रीमती प्रकाशवती शर्मा के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा श्रीमती स्नेह शर्मा पत्नी श्री दिनेश अम्बरीष को किया गया। श्रीमती प्रकाशवती शर्मा की मृत्यु दिनांक 10.11.2021 को हो गई थी। अब श्रीमती स्नेह शर्मा पत्नी श्री दिनेश अम्बरीष द्वारा भूखण्ड के दस्तावेज प्रस्तुत कर पट्टा जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

ह0

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-403
20/5/22

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करें।

19/05/2022

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोन : 0141–2573150 (0) 0141–2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन–5/2022/डी–1395 दिनांक :– 19-5-22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	एफ–281	श्याम नगर विस्तार	श्री मनमोहन मिया बजाज पुत्र श्री ब्रजमोहन मिया बजाज एवं श्रीमती नीलम मिया बजाज पत्नी श्री मनमोहन मिया बजाज	श्रीमती शांति देवी अग्रवाल पत्नि श्री कुंज बिहारी अग्रवाल	अपंजीकृत इकरारनामा
2.	ए–162 ए	श्याम नगर	श्रीमती राज मेहरा पत्नी श्री बी. एल. मेहरा	श्री बी. एल. मेहरा पुत्र श्री पी. एल. मेहरा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत वसीयतनामा
3.	एफ–240	श्याम नगर विस्तार	श्री पन्ना लाल जैन पुत्र स्व. श्री धन्ना लाल जैन	श्री मनोज कुमार शाह पुत्र स्व. श्री राधेश्याम शाह	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
4.	ए–159	श्याम नगर	श्री रचनेश चावला पुत्र स्व. श्री एम. पी. चावला	श्री एम. पी. चावला पुत्र श्री देशराज चावला	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
5.	एस–14	श्याम नगर	डॉ. अनुराग शर्मा पुत्र स्व. श्री अश्वनी मोहन शर्मा	श्री परमानन्द शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत वसीयतनामा
6.	जी–119	श्याम नगर विस्तार	श्रीमती मनोरमा भोजक पत्नी स्व. श्री चतुर्भुज भोजक	श्री चतुर्भुज भोजक पुत्र स्व. श्री सम्पत राम	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र

उपायुक्त जोन–5

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–5

PRO/R-404 20/5/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ( ) जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी –1352 दिनांक 20/5/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक क्रमांक	लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
104685	श्री राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद खोरानिया	निजी खातेदारी की आवासीय योजना ओमेक्स सिटी के भूखण्ड संख्या 499 क्षेत्रफल 253 वर्गमीटर	श्रीमती नीलम नारंग पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह नारंग	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयत

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRO/R-448
20/5/22

क्रमांक / ज.वि.प्रा / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी–967 **दिनांक. 18-5-22**

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजत् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांकः से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	33	विवेकानन्द	प्रिन्टर्स नगर–द्वितीय	श्री विनोद मैना पुत्र स्व. श्री बाबूलाल मैना	लीजधारक श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री मिठ्ठन लाल मीणा	जारी लीजडीड दिः 24.08.2002, उपपंजीयक ग्वालियर में रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिः 28.07.2006 आदि प्रस्तुत किये हैं।

18.05.22

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांकः 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांकः 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

18.05.22

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-407
20/5/22

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या 949 दिनांक 20/5/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **नेहरू गृ0नि0स0समिति** की योजना **आम्रपाली नगर ब्लॉक–बी, डी एवं जी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम धावास तहसील जयपुर	17/1	कुल रकबा 1.4670 हैक. में से 0.7550 हैक.	शारदा देवी पत्नी सरदार हिस्सा– 17/116 महेश कुमार पुत्र सरदार हिस्सा– 33/232 मुकेश कुमार पुत्र सरदार हिस्सा– 33/232 चन्दा पुत्री सरदार हिस्सा – 49/348 राजू पुत्री सरदार हिस्सा – 49/348 साधना पुत्री सरदार हिस्सा– 49/348 अशोक कुमार पुत्र सरदार हिस्सा– 17/116
ग्राम धावास तहसील जयपुर	17/2	0.0506 हैक. (सम्पूर्ण)	सतीश पुत्र रामसहाय हिस्सा– 1/3 गोपालसिंह पुत्र रामसहाय हिस्सा–1/3 महेन्द्र पुत्र रामसहाय हिस्सा– 1/3
ग्राम धावास तहसील जयपुर	32	कुल रकबा 4.3757 हैक. में से 0.6900 हैक.	नानूराम पुत्र हरलाल हिस्सा– 1/2 प्रेमनारायण पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा–1/6 दुर्गासहाय पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा–1/6 गोपाललाल पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा– 1/6

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पीबी–एसएफ–218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 20/5/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

PRO/R-410
20/5/22

(हo)

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2021-22/101490 दिनांकः 20/05/2022

लोक सूचना

श्री **KALU** पुत्र श्री **BHAGWAN SAHAY** जाति **RAIGER** निवासी **VILLAGE CHAINPURA, DANTLI, JAIPUR RAJASTHAN**
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	बाढरमजानीपुरा, चाकसू (जयपुर)	KALU S/ BHAGWAN SAHAY	234/113	1000	0.1
				कुल	**0.1**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **20-05-2022** को जारी की गयी।

20/5/22

प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त (जोन–14)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 945 दिनांकः 20.5.22

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती तंवर कंवर पत्नी श्री भगवान सिंह द्वारा योजना रिद्वी–सिद्वी नगर के भूखण्ड संख्या–60–ए का फ्री होल्ड पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा/लीजडीड अपने पक्ष में जारी करनें हेतु प्रार्थीया द्वारा समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर योजना रिद्वी–सिद्वी नगर के भूखण्ड संख्या–60–ए का पट्टा प्रार्थीया के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

Sd/-
उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, जविप्रा जयपुर।

PRO/R-402
20/5/22

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455
email : dczone07jaipurjda@gmail.com